द्वारा किया जायेगा। बीज केन्द्र का समस्त स्टाफ क्षेत्र-पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा। बीज केन्द्र से सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि तथा अन्य सामग्री क्षेत्र-पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

5. विपणन गोदाम : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर पर स्थित विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार क्षेत्र-पंचायतों को होगा।

6. एक से अधिक ग्राम-पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्य : ऐसे कार्य जो एक से अधिक ग्राम-पंचायतों में किये जाते हैं, क्षेत्र पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे। ऐसे कार्यों को सम्पादित करने के लिए आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र-पंचायतों को उपलब्ध करायी जायगी।

7. सम्पत्तियों का रख-रखाव : क्षेत्र-समितियों को हस्तान्तरित कार्यों से सम्बन्धित विभागीय परिसम्पत्तियाँ क्षेत्र-पंचायतों को हस्तान्तरित की जायेंगी। इन परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का दायित्व क्षेत्र-पंचायतों का होगा। क्षेत्र-पंचायतों को हस्तान्तरित विभागीय परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र-पंचायतों को दी जायेगी।

क्षेत्र पंचायतों को भी अन्तरण (Devolution) में अंश : क्षेत्र-पंचायतोंको राज्य के करों की आय में से ग्रामीण निकायों को किये जाने वाले अन्तरण (Devolution) की धनराशि का 10 प्रतिशत अंश प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि से क्षेत्र पंचायतें ऐसी परियोजनायें जिनका सम्बन्ध एक से अधिक ग्राम से है, क्रियान्वित करेंगी।

'क्षेत्र-निधि' का संचालन

'क्षेत्र-निधि' का संचालन क्षेत्र-पंचायत के अध्यक्ष एवं खण्ड विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था

क्षेत्र-पंचायतों में होने वाले कार्यों का सम्पादन समितियों द्वारा : क्षेत्र-पंचायतों को सौंपे गये कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। क्षेत्र-पंचायत के कार्यों को करने के लिए 6 समितियाँ गठित की जायेंगी। 1. नियोजन एवं विकास समिति, 2. शिक्षा समिति, 3. निर्माण कार्य समिति, 4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 5. प्रशासनिक समिति, 6. जल प्रबन्धन समिति।

क्षेत्र पंचायत के कार्यों को सम्पादित करने के लिए किसी "व्यक्ति" या "पदाधिकारी" को देने के स्थान पर "समितियों" को अधिकार प्रदान किए जायेंगे ताकि निर्णय सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर पारदर्शी रूप में किए जा सकें।

ग्रामपंचायतों से अपेक्षा

- विकास से संबंधित योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन लोकसभा की खुली बैठक में निष्पक्ष रूप से किया जाये।
- सम्पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखने हेतु ग्राम पंचायतें सार्वजनिक स्थल पर सूचना पट्ट लगाकर उस पर वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों का विवरण, लाभार्थियों की सूची, निर्माण कार्य की कुल लागत, निर्माण कार्य कब शुरू होगा तथा कब पूरा होगा आदि का स्पष्ट उल्लेख करे।
- समस्त कार्य समितियों की देखरेख तथा पर्यवेक्षण में ही करायें।
- ग्रामवासियों को अपने घर के पास व्यक्तिगत शौचालय बनवाने हेतु प्रोत्साहित करे।
- ग्रामवासियों को अपने घर के अन्दर एवं घर के आस-पास सफाई रखने हेतु प्रोत्साहित करे।
- रुके हुए सार्वजनिक पानी की निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे।

ग्रामीण नागरिकों से अपेक्षाएँ

- पीने और भोजन बनाने के लिए हैण्ड पम्प, नल तथा स्वच्छ कुओं का ही उपयोग करें।
- केवल शौचालय में ही शौच जायें।
- शौच के बाद तथा खाने से पूर्व साबुन या राख से हाथ अवश्य साफ करें।
- प्रतिदिन मंजन या दातून से दांत साफ करें तथा स्नान कर स्वच्छ व धुले हुए कपड़े पहनें।
- पीने के पानी तथा खाने की वस्तुएँ सदैव ढक कर रखें।
- घर के गंदापानी की उचित निकासी करते हुए उसे बड़ी नालियों से जोड़ें।
- गांव की महिलाएँ शौच, स्नान तथा कपड़े धोने के लिए महिला शौचालय काम्पलेक्स का प्रयोग करें।